राज्यपाल बनाम सरकार

द हिन्दू, 12-11-22

प्रश्न पत्र - 2 (संवैधानिक निकाय - गवर्नर की भूमिका)

लेखक – जी. आनंद

"विवाद से केवल शासन और जनहित को नुकसान होगा|"

राज्यों में अक्सर राज्यपाल के कार्यालय की भूमिका, शक्तियां और विवेकाधिकार, संवैधानिक, राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बने रहते हैं, लेकिन किसी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की दरार जनता के सामने उतनी स्पष्टता से कभी नहीं दिखाई दी जितनी पिछले एक सप्ताह के भीतर केरल में देखने को मिली | राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बीच बढ़ते तनाव ने राज्य की राजनीति को विवादों के केंद्र में ला दिया है|

CPI (M) द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (केटीयू) के वाइस चांसलर सिजा थॉमस के बहिष्कार की घटना ने इस गतिरोध को जन्म दिया जिन्हें श्री खान ने सरकारी नामितों को दरकिनार करते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में नियुक्त किया था| उन्होंने ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजश्री एम.एस. की नियुक्ति को रद्द करने के बाद किया| KTU के कुलपति के रूप में, इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मानदंडों का उल्लंघन पाया गया|

राजभवन के अतिरिक्त संवैधानिक भ्रम

LDF सरकार के खिलाफ हमला करते हुए, श्री खान ने आरोप लगाया कि, सरकार ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उनके द्वारा नियुक्त कुलपतियों को अपना विरोध जताने की अनुमति प्रदान न

करके "संवैधानिक तंत्र के पतन की प्रक्रिया शुरू"कर दी है | श्री खान ने सत्तारूढ़ मोर्चे द्वारा "राजभवन में घुसने" और "सड़क पर हमला" करने की धमकी पर चुनौती देते हुए कहा कि वह 15 नवंबर को राजभवन के सामने LDF कार्यकर्त्ताओं के धरने में शामिल होंगे, अगर सत्ताधारी मोर्चे के नेता उनके साथ सार्वजनिक रूप से बहस करने के लिए तैयार हों|

विजयन पर, श्री खान की टिप्पणियों ने दोनों कार्यालयों के बीच बढ़ती खाई की ओर संकेत किया है| उन्होंने आरोप लगाया कि श्री विजयन को "अपने कपड़े बदलने के लिए घर जाना पड़ा", जब एक आईपीएस अधिकारी ने कन्नूर में एक पार्टी कार्यकर्त्ता को पुलिस हिरासत से मुक्त करने से माकपा नेता को रोकने के लिए पिस्तौलदान से अपनी बंदूक हटा दी|"

राज्यपाल ने अन्य कुलपतियों को अपना इस्तीफा सौंपने का आदेश देकर सरकार को चुनौती दी| उनके इस विवादास्पद निर्देश का आधार था कि सरकार ने इन कुलपतियों को उसी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया था जिसे कुलपति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध माना गया|

8 नवंबर को सरकार को विश्वविद्यालय प्रशासन सम्बन्धी श्री खान के साथ द्वंद्व से थोड़ी राहत मिली, जब केरल उच्च न्यायालय ने कुलपतियों को जारी 'कारण बताओ नोटिस' पर अंतिम आदेश पारित करने से रोक लगा दी |

श्री खान ने तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद खड़ा करते हुए ,केरली टीवी और मीडिया वन टीवी के पत्रकारों को राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण बताया और इस कार्यक्रम को कवर करने से रोक लगा दी | प्रेस की स्वतंत्रता पर"प्रहार" करने के लिए नागरिक समाज द्वारा उनकी आलोचना की गई| एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा "उच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा मीडिया चैनलों को चुनिंदा लक्ष्यीकरण" का विरोध किया गया| भाजपा को छोड़कर, एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने श्री खान द्वारा दो मीडिया घरानों की "ब्लैकबॉलिंग" की निंदा की गयी और पत्रकार संघों द्वारा भी राजभवन तक मार्च निकाला गया|

राज्यपाल समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं : पिनाराई विजयन

राज्य सरकार ने खुद को बहुत कम राजनीतिक स्थिरता वाली स्थिति में पाया है अर्थात श्री खान के कार्यों ने संघवाद के शासी आदर्श के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की है | CPI (M) के नेतृत्व वाले LDF ने अन्य गैर-बीजेपी शासित राज्यों, मुख्य रूप से तमिलनाडु के साथ भी एक सामान्य कारण पाया है, जिनका उनके

संबंधित राज्यपालों के साथ समान टकराव रहा है| वहीं द्रमुक ने LDF द्वारा राजभवन घेराबंदी में शामिल होने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने का वादा किया है|

हालाँकि, राज्यपाल के खिलाफ सरकार के मामले की एक अकिलीज़ एड़ी(किसी वस्तु या व्यक्ति का कमज़ोर पक्ष)राज्य के विश्वविद्यालयों में भाई-भतीजावाद और कुप्रशासन के आरोपों को स्पष्ट रूप से संबोधित करने में इसकी विफलता है| सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय कानूनों और UGC मानदंडों के बीच स्पष्ट अंतर को भी संबोधित नहीं किया है|

राज्यपाल और सरकार के बीच तेजी से बढ़ते गतिरोध से केरल में राजनीतिक उथल-पुथल का एक और मौसम तैयार हो सकता है| यदि दो संस्थाएं एक बंदी पर प्रहार करने में विफल रहती हैं, तो शासन और जनहित संभवतः इसके कारण होंगे|

राज्यपाल और उपराज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं?

हालाँकि, वर्तमान मोड़ पर सुलह का रास्ता दूर की कौड़ी प्रतीत हो रहा है | CPI (M) के अनुसार, उसके पास श्री खान द्वारा फेंके गए हथियार को उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है| केरल कैबिनेट ने 9 नवंबर को श्री खान से विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से राज्यपाल को हटाने के लिए एक अध्यादेश लाने का अनुरोध करने का संकल्प लिया|

द स्टडी टीम के इनपुट्स :

- राज्यपाल किसी राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है|
- भारत के राष्ट्रपति की तरह, वह एक नाममात्र (नाममात्र या संवैधानिक) प्रमुख होता है और केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसलिए, राज्यपाल के कार्यालय की दोहरी भूमिका होती है|
- अनुच्छेद 155 के अनुसार- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किन्तु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश पर की जाती है।
- सविधान के अनुच्छेद-163 के तहत राज्यपाल को मंत्रिमंडल की "सहायता और सलाह" पर कार्य करना आवश्यक है|

- संविधान के अनुच्छेद-164, राज्य सरकार और राज्यपाल बीच संबंधों पर आधारित है| राज्यपाल केवल नाममात्र का कार्यकारी अधिकारी होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है|
- अनुच्छेद-166(2) के अंर्तगत यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं तो उसी का निर्णय अंतिम माना जाता है|
- अनुच्छेद-166(3) राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग उन नियमों के निर्माण हेतु कर सकता है जिनसे राज्यकार्यों को सुगमतापूर्वक संचालन हो, साथ ही वह मंत्रियों में कार्य विभाजन भी कर सकता है|
- अनुच्छेद-200 के तहत राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग राज्य विधायिका द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकने में कर सकता है|
- अनुच्छेद-356 के अधीन राज्यपाल,राष्ट्रपति को राज्य के प्रशासन को अधिग्रहित करने हेतु निमंत्रण दे सकता है, यदि यह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकता हो|
- राज्यपाल राज्य में केन्द्र का प्रतिनिधि होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बना रहता है। वह कभी भी पद से हटाया जा सकता है|यद्यपि राज्यपाल की कार्य अवधि उसके पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष तक होती है|

संभावित प्रश्न

प्रश्न- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए|
2. संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति पर राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक है|
3. अपने पद के कार्यकाल के दौरान, राज्यपाल किसी भी आपराधिक कार्यवाही से, यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत कार्यों से भी, उन्मुक्त है|

उपर्युक्त में से कौन- सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1 और 3

b) केवल 1 और 2

c) केवल 2 और 3

d) 1 ,2 और 3

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- " राज्यपाल को संविधान की भावना के अनुसार अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, न कि केंद्र के एजेंट के रूप में "। भारतीय राजव्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिए| (250 शब्द)

*****

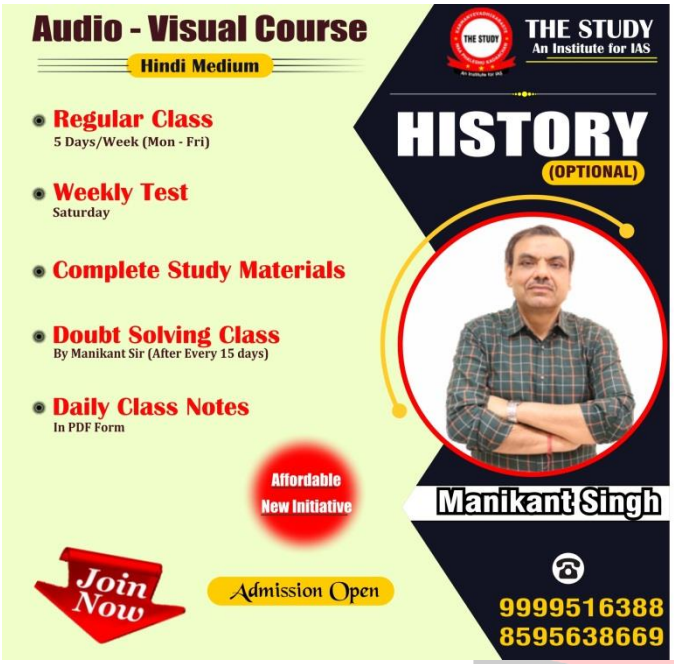

An Institute for IAS